

मेसर्स वीसा पॉवर लिमिटेड द्वारा ग्राम-डूमरपाली एवं देवरी, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल बेस्ड थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट – 2 x 600 मेगावॉट के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 27.08.2010 का कार्यवाही विवरण

मेसर्स वीसा पॉवर लिमिटेड द्वारा ग्राम –डूमरपाली एवं देवरी, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल बेस्ड थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट – 2 x 600 मेगावॉट के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 27.08.2010 स्थान प्रस्तावित परियोजना स्थल के सामने का मैदान, ग्राम देवरी, तहसील व जिला रायगढ़ में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई । लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रायगढ़, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई. ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 यथा संशोधित 2009 के प्रावधानों की जानकारी दी गयी।

लोक सुनवाई में लगभग 500 लोगो का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 158 लोगों ने हस्ताक्षर किये। मौखिक वक्तव्यों को लिपिबद्ध किया गया।

लोक सुनवाई उद्योग प्रतिनिधि के द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम उद्योग की ओर से कंपनी प्रतिनिधि श्री आनंद साल्वेकर, महाप्रबंधक ने प्रस्तावित परियोजना से होने वाले प्रदूषण नियंत्रण, जल की आवश्यकता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, स्थानीय लोगों को रोजगार, सामुदायिक विकास कार्य आदि के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उद्योग प्रतिनिधि को जन सुनवाई के दरम्यान उठायी गई आपत्तियों, टीकाटिप्पणी को नोट करने तथा उन्हें कार्यवाही के अंत में बिन्दुवार स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया गया। इसके उपरान्त उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जिस पर निम्नानुसार 199 व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये –

सर्वश्री –

1. चन्द्र प्रकाश बघेल, देवरी – हम सभी युवा इस कंपनी का स्वागत करते हैं और अपने गांव के लिये निम्न मांग करते हैं, शिक्षा का विकास होना चाहिए, अस्पताल की सुविधा उपलब्ध हो, बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार मिले, हमारे गांव के सड़क, पुलिया का मरम्मत और निर्माण, लाईट की व्यवस्था, महिलाओं को रोजगार, बिजली बनाने से प्रदूषण होगा इसके लिये वृक्षारोपण किया जाये। अगर फैक्ट्री लगेगी तो प्रदूषण होगा उस पर ध्यान दिया जाये, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल एवं हाईस्कूल की व्यवस्था की जाये, बेरोजगार युवकों को आई.टी.आई और कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया जाये, गांव में पेयजल की व्यवस्था की जाये। खेल मैदान की व्यवस्था की जाये। गांव में शराब और गांजा पर रोक लगाया जाना चाहिए। कंपनी के आने से गांव के लोग पैसे का उपयोग शराब और गांजे में दुरुपयोग कर रहे हैं, वे पैसे का सही उपयोग करें। सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु रंगमंच स्थल का निर्माण, तालाब निर्माण किया जाना चाहिए। गांव में युवा समिति का गठन जो हर कार्य में कंपनी की सहयोग करे। कंपनी के द्वारा कोचिंग सेंटर की व्यवस्था करें। देवरी और डूमरपाली गांव के लोगों को कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी दी जाये।

2. युवराज सिंह साहू, डूमरपाली – यहाँ वीसा पॉवर का गांव के सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, गांव के प्रत्येक परिवार के लोगों को रोजगार दिया जाये, उच्च शिक्षा हेतु स्कूल निर्माण, महिला स्वसहायता समुह को सहयोग किया जाये। ग्राम पंचायत में सामुदायिक विकास किया जाये। हम वीसा पॉवर लिमिटेड का समर्थन करते हैं।
3. कौशल प्रसाद साहू, डूमरपाली – मैं हमारे गांव में वीसा कंपनी का स्वागत करता हूँ। हमारे युवा बेरोजगारों को प्राथमिकता से नौकरी दिया जाये, प्रदूषण पर रोक लगाया जाये। हम पर प्रदूषण का कम असर हो।
4. सोहन लाल पटेल, कोड़तराई – जो कंपनी खुल रहा है उसका समर्थन है, बेरोजगार लोगों को नौकरी दिया जाये।
5. आत्माराम साहू, डूमरपाली – मैं अपना जमीन बेचा हूँ उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कंपनी के खुलने में कोई आपत्ति नहीं है।
6. गुरविन्द दास महंत, सरपंच, दूवरी – हम ग्रामवासी की ओर से वीसा कंपनी का स्वागत करते हैं, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था करे, बेरोजगारों को रोजगार, अस्पताल, और पीने के पानी की व्यवस्था, ग्राम के सभी परिवार के लोगों को रोजगार दिया जाये। मैं वीसा पावर का समर्थन करता हूँ।
7. सरसराम पटेल, कोड़तराई – मैं वीसा पॉवर का समर्थन करता हूँ। हमारे गांव के 75 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिले।
8. रजहा प्रसाद साव, देवरी – हमारा गांव पिछड़ा हुआ है। मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ। वीसा कंपनी के द्वारा गांव के बेरोजगारों को नौकरी दिया जाये।
9. झाड़ूराम सिदार, कोसमपाली – आज वीसा कंपनी में जो पॉवर प्लांट स्थापित करने का जन सुनवाई हो रहा है मैं उसका स्वागत करता हूँ। कंपनी इस बात पर विशेष ध्यान दे कि आस-पास के गांव के बेरोजगारों को नौकरी दी जाये, बाहर के लोगों को नौकरी पर न रखा जाये। आस-पास के गांवों में पानी, बिजली, सड़क का विकास हो। बचे हुए खेत हेतु बिजली और पानी की व्यवस्था कंपनी के द्वारा किया जाये। बची हुई जमीन प्रदूषित न होने पाये। आस-पास के गांव के लोगों को योग्यता अनुसार रोजगार दिया जाये। गांव के लोगों के द्वारा ट्रेक्टर और अन्य मशीन खरीदा गया है, उनको भी कंपनी में काम में लगाया जाये। मैं इस कंपनी का स्वागत करता हूँ।
10. जयलाल डनसेना, दर्री – यह जो पॉवर प्लांट खुल रहा है, यहाँ के आस-पास की जनता को रोजगार मिलेगा, बिजली की समस्या दूर हो जायेगी। मैं समर्थन करता हूँ।
11. श्रीमती अहिल्या साहू, डूमरपाली – हम अपनी सदस्यों के साथ पॉवर प्लांट का समर्थन करते हैं, हमें जीविका के लिये रोजगार, बहु बेटियों को शौचालय की सुविधा दिया जाये। महिलाओं को शिक्षा और महिला समिति का गठन किया जाये।
12. सिंधुमति, डूमरपाली – मैं वीसा पॉवर कंपनी का समर्थन करती हूँ। हमारे गांव में शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
13. हीराबाई, डूमरपाली – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
14. रेवती बाई साहू, डूमरपाली – अपने सदस्य बहनों के साथ वीसा पॉवर कंपनी का समर्थन करती हूँ।
15. जानकी बाई, डूमरपाली – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
16. चम्पा साहू, डूमरपाली – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
17. इन्दु साहू, डूमरपाली – यहाँ कंपनी के लगने से गरीब बेरोजगारों को काम मिलेगा, मैं इस कंपनी का समर्थन करती हूँ।

18. कदरमती, डूमरपाली — मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
19. रेनुमती साहू, डूमरपाली — वीसा पॉवर कंपनी का समर्थन करती हूँ।
20. जमुना बाई, डूमरपाली — मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
21. पदमाबाई, डूमरपाली — मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
22. गंगा महंत, डूमरपाली — हमारे गांव में इंग्लिस मिडियम स्कूल खोला जाये, जिससे सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, गांव के सड़कों का निर्माण किया जाये। मैं कंपनी से चाहती हूँ कि वे हमारी सहयोग करें। मैं वीसा पॉवर का समर्थन करती हूँ।
23. कचरा बाई महंत, डूमरपाली — वीसा पॉवर का समर्थन करती हूँ। कंपनी हमारी सहायता करे।
24. राघवराम चौहान, उसरौट— कंपनी का स्वागत है। मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि कंपनी पर्यावरण पर विशेष ध्यान दे। कंपनी क्षेत्र का विकास करे। मैं गांव देवरी और डूमरपाली के लोगों को आगाह करना चाहूँगा। यह क्षेत्र गांव वालों के अनुरूप बन सके।
25. धरम लाल लहरे, देवरी — हमारे यहाँ वीसा पॉवर लिमिटेड आया है तो हम बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि हमारा जमीन पहले 250000 एकड़ में बेच रहे थे, आज कंपनी के आने से 12 लाख रुपये एकड़ में जमीन बिक रहा है। वीसा कंपनी के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है उससे हम और अधिक जमीन खरीद रहे हैं।
26. शौकीलाल साव, डूमरपाली — आज हमारे गांव में वीसा पॉवर कंपनी लग रहा है। पॉवर प्लांट के लगने से गांव के बेरोजगारों को नौकरी मिलेगा, वे अपने परिवार का अच्छा से पालन पोषण कर सकेंगे, हमारे गांव के तालाब का गहरीकरण कंपनी के द्वारा किया गया है। मैं वीसा पॉवर का समर्थन करता हूँ।
27. लाल कुमार साहू, देवरी — मैं वीसा पॉवर लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। गांव के 80 प्रतिशत लोगों को नौकरी मिले, गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाये। मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
28. ज्ञानमती, देवरी — मेरे घर में नल बोर, पैखाने की व्यवस्था की जाये।
29. ताराबाई बैरागी, देवरी — कंपनी के आने से बहुत खुशी की बात है, कंपनी के द्वारा गांव के हर घर में सेप्टिक बनाया जाये, गांव के तालाब में बोर लगाया जाये। जिससे सुविधा हो सके।
30. कुदेली बाई, देवरी — गांव में पीने के पानी और शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
31. रामप्यारी, देवरी — कंपनी हमको रोजगार दे।
32. चमेली बाई, देवरी — मेरा समर्थन है।
33. पुनीमती, देवरी — हमको भी रोजगार दिया जाये, हमारे बच्चों को नौकरी दी जाये।
34. उर्मिला बाई, देवरी — मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
35. सीता, देवरी — मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
36. सोनकुंवर, देवरी — कंपनी मे मेरा समर्थन है।
37. सरोज यादव, देवरी — जितने भी लड़की पढ़े-लिखे हैं उनको काम दिया जाये। हम वीसा कंपनी का स्वागत करते हैं।
38. कुमारी बाई — मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
39. ममता बंजारा, देवरी — मैं वीसा कंपनी का स्वागत करती हूँ, हम जैसे विकलांगों और पढ़े-लिखे लोगों का कंपनी सहायता करे।
40. जय संतोषी, देवरी — मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।

41. जुरी बाई, देवरी – सभी को नौकरी मिले, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था की जाये। मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
42. गिरीजा बाई, देवरी – कंपनी में नौकरी दी जाये।
43. खुंटी बाई, देवरी – मेरे बच्चों को कंपनी नौकरी दी जाये।
44. मीरा चौहान, देवरी – महिलाओं को रोजगार दिया जाये।
45. परमेश्वरी, देवरी – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
46. भानूमति, देवरी – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
47. पार्वती बाई, देवरी – कंपनी में नौकरी दी जाये। मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
48. रजनी बाई, देवरी – कंपनी में हम महिलाओं को रोजगार दिया जाये। मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
49. समारी बाई, देवरी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करती हूँ।
50. रुकमणी साहू, डूमरपाली – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
51. ब्रजलाल चौहान, देवरी – ग्राम देवरी में प्रस्तावित वीसा पॉवर के जन सुनवाई का मैं स्वागत करता हूँ गांव में पानी, बिजली की व्यवस्था किया जाये और सड़क का निर्माण किया जाये।
52. लक्ष्मण दास महंत, उच्चभिठठी – कंपनी प्लांट खोले लेकिन प्रलोभन न दे। हम लोग चारों तरफ से मर रहे हैं। कंपनी जमीन ले ले प्लांट खोल ले लेकिन धोखा न दे।
53. धर्नुजय प्रसाद पटेल, डोंगीतराई— मैं वीसा कंपनी का स्वागत करता हूँ।
54. रामेश्वर पटेल, कोड़तराई – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
55. मदन लाल चौहान, देवरी – हमारे गांव के आस-पास अंग्रेजी स्कूल नहीं है, मैं स्कूल का मांग करते हुए वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
56. चर्तुसिंह साहू, देवरी – गांव लोगों को रोजगार दिया जाये और बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
57. महेन्द्र कुमार यादव, देवरी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
58. सूरज कुमार पटेल, चारभाठा – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
59. हीरालाल बघेल, देवरी – कंपनी गांव देवरी को गोदनामा में ले ले और गांव का विकास करे, हमारे गांव में कोई पढ़े-लिखे लोग नहीं है हम लोगों को उचित प्रशिक्षण देकर अच्छा नौकरी दी जाये , हमें कुली कबाड़ी का नौकरी नहीं चाहिए। मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
60. रामकुमार महंत, देवरी – मैं अपने आदिवासी भाईयों के साथ वीसा कंपनी का स्वागत करता हूँ। सभी को योग्यताअनुसार काम दिया जाये और सभी की मांगों को पूरा किया जाये।
61. साधमति यादव, देवरी – वीसा कंपनी का समर्थन है। हमारे लिये व्यवस्था की जाये।
62. फूलमति साव, देवरी – कंपनी का स्वागत है।
63. कु. लता साहू, डूमरपाली – हम बी. ए. की छात्रा है हम 10 किलो मीटर सायकल से कालेज जाते हैं, हमारे गांव में कालेज की सुविधा की जाये। गांव में इंग्लिस मीडियम स्कूल खोला जाये, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था की जाये, हमारी मांगे कंपनी मानती है तो हम कंपनी का स्वागत करते हैं
64. भगवती साहू, डूमरपाली – हम लोगों की मांगों को कंपनी माने हम कंपनी का स्वागत करते हैं।

65. सावित्री साहू, डूमरपाली – हम लोग बहुत दूर पढ़ने के लिये जाते हैं, तो हमारे लिये व्यवस्था की जाये।
66. भानूमति महंत, डूमरपाली – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करती हूँ।
67. ननकी बाई, डूमरपाली – कंपनी गांव में विकास के कार्य करें। मैं वीसा कंपनी का समर्थन करती हूँ।
68. सुकांति बाई, डूमरपाली – कंपनी हमारी सहायता करे। मैं वीसा कंपनी का समर्थन करती हूँ।
69. महती बाई, देवरी – गांव के बच्चों को नौकरी दी जाये, महिलाओं को भी काम दिया जाये।
70. द्रुपति, देवरी – मुझे काम दिया जाये।
71. लक्ष्मी बाई, देवरी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करती हूँ।
72. रजनी बाई यादव, देवरी – कंपनी का समर्थन है।
73. ननकी बाई यादव, देवरी – कंपनी का समर्थन है।
74. कान्ती बाई, देवरी – कंपनी का स्वागत है।
75. शान्ति बाई, देवरी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करती हूँ।
76. इन्द्रमति यादव, देवरी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करती हूँ।
77. रुकमणी बाई, देवरी – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
78. भानूमति, देवरी – कंपनी का समर्थन है।
79. कयाबाई, देवरी – कंपनी का समर्थन है।
80. ज्योति देवी, देवरी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करती हूँ।
81. जयेश्वरी साहु, देवरी – हम लोग बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए।
82. मालती बाई, देवरी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करती हूँ।
83. चम्पामती देवी, देवरी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करती हूँ।
84. सुदामा प्रसाद साहू, डूमरपाली – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
85. मनोज कुमार यादव, देवरी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
86. नवरतन, डूमरपाली – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
87. टेकलाल यादव, देवरी – चन्द्र प्रकाश जी के बातों को मैं समर्थन करता हूँ।
88. राधा बाई पटेल, तिलईपाली – गांव के लोगों को रोजगार दिया जाये। कंपनी आज हमें अपना घर और परिवार माने तो हमारा समर्थन है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी महिला कंपनी का विरोध करेंगे। मैं समर्थन करती हूँ।
89. कमला बाई राठिया, देवरी – कंपनी का समर्थन करती हूँ। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये।
90. विमला बाई, देवरी – पॉवर प्लांट का समर्थन करती हूँ।
91. गौतम प्रसाद पटेल, देवरी – मैं समर्थन करता हूँ।
92. बालेश्वर साहु, देवरी – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
93. जयंत बहिदार, रायगढ़ – लोक सुनवाई एक कानून है उद्योगों के स्थापना से पहले किया जाता है । 1986 में अधिसूचना जारी की गई थी। यहाँ जन सुनवाई में जनता का सुझाव आना चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन इसमें असमर्थ है, उद्योग प्रबंधन अपने समर्थन में गांवों में घूमकर लोगों को गैर कानूनी तरीके से प्रलोभन दिया गया है और जन सुनवाई को प्रभावित किया गया है, जिस नियम के तहत जन सुनवाई होना चाहिए, उसके तहत उद्योग के आवेदन के 45 दिन के अंदर जन सुनवाई हो जाना चाहिए, सचिव महोदय द्वारा भी आदेश जारी किया गया था कि नियमों के तहत जन सुनवाई करायी जाये, लेकिन आज 133 दिन के बाद यह जन

सुनवाई कराई जा रही है, जिसका अधिकार जिला प्रशासन नहीं है, भारत सरकार के द्वारा टी. ओ. आर. 31 मई 2010 को जारी किया गया था, जिसमें 10 किलोमीटर के अंदर पर्यावरणीय अध्ययन किया जाना था, कंपनी के द्वारा टी. ओ. आर. जारी होने के पहले से पर्यावरणीय अध्ययन किया गया है। कंपनी के द्वारा फर्जी आंकड़े के साथ ई. आई. ए. प्रस्तुत किया गया है। कंपनी के द्वारा बताया गया है कि इस क्षेत्र में कोई हाथी का आवागमन नहीं है, इस क्षेत्र में कोई ऐतिहासिक क्षेत्र नहीं है, लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर सिंघनपुर गुफा है, जो कि ऐतिहासिक है। कंपनी के द्वारा टी. ओ. आर. जारी होने के पहले ही ई. आई. ए. बना लिया गया था। इस क्षेत्र में पहले से जिंदल उद्योग, मोनेट उद्योग और जिंदल का सीमेंट उद्योग है, यह क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, इस क्षेत्र में द्वीफसली उपज लिया जाता है, यह क्षेत्र स्वर्ग है, इसको नर्क बनाने के लिये वीसा कंपनी आया है। इस क्षेत्र में गैसों की मात्रा के बारे में गलत जानकारी दिया गया है। इसलिये वीसा कंपनी को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दिया जाना चाहिए। यह जन सुनवाई नियम से नहीं हो रहा है इसलिये इस जन सुनवाई को निरस्त करने हेतु लिखा जाये। इस क्षेत्र में जिंदल कंपनी का गंदा पानी होकर गेजामुड़ा नाले के माध्यम से होकर जाता है और माण्ड नदी में मिलता है। इस क्षेत्र में पहले से प्रदूषण है, इसलिये इस कंपनी को अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए। इस कंपनी के द्वारा छ.ग. सरकार के सिंचाई विभाग से पण्डरीपानी, किरितमाल और डोंगीतराई में प्लांट स्थापना हेतु जल आपूर्ति हेतु अनुमति ली गई है, लेकिन कंपनी के द्वारा देवरी और डूमरपाली में प्लांट लगाया जा रहा है। देवरी और समतलीकरण कार्य कंपनी के द्वारा चालू कर दिया गया है जो कि ई. आई. ए. अधिनियम का उल्लंघन है। ई. आई. ए. अधिसूचना के अनुसार कंपनी को अनुमति नहीं दिया जाये।

94. गोविंद नंदे, डूमरपाली – गांव वालों ने अपने मर्जी से जमीन को दिया है। हमें किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया गया है। हमारी जमीन पहले सस्ते में बिकती थी, आज हमारे जमीन का उचित मूल्य मिल रहा है। कंपनी के खुलने से हमें रोजगार मिलेगा। कंपनी का समर्थन है।
95. कार्तिकराम बघेल, देवरी – हमारे पूर्वज का जमीन जिसको हमने और हमारे पूर्वजों ने जीवन अर्जन किया था, उसको हमने वीसा कंपनी को दिया है, अतः वीसा कंपनी हमारे आने वाले पीढ़ी को रोजगार दे और गांव में हास्पिटल और शिक्षा की व्यवस्था करे।
96. बलवन्त साहु, डूमरपाली – मैं वीसा पॉवर लिमिटेड का स्वागत करता हूँ। कंपनी गांवों को अच्छी तरह से रखे
97. चूड़ामणी साहू, डूमरपाली – कंपनी हमें रोजगार दे। मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
98. रघुवीर प्रधान, एकता परिषद, रायगढ़ – यहाँ पर मेसर्स वीसा पॉवर लिमिटेड के द्वारा 1200 मेगावॉट के लिये जन सुनवाई की जा रही है। बेनर में से पर्यावरणी स्वीकृति को काटकर स्थानीय जन सुनवाई रख दी जाये। कुछ लोग कह रहे थे कि बाहरी लोगो को बोलने नहीं दिया जाये तो वे बतायें कि क्या वीसा कंपनी बाहरी है या यहीं का है। कंपनी के द्वारा कितना पानी प्रतियूनिट लगेगा इसकी जानकारी दी जाये। रायगढ़ और जांजगीर में जितनी भी कंपनियां आ रही है वे सभी महानदी से पानी लेने की अनुमति बताई जा रही है, लेकिन इसका अध्ययन नहीं किया गया है कि महानदी में इतना पानी है कि नहीं? जितना पानी देने की अनुमति दी जा चुकी है उतना पानी महानदी में है ही नहीं। इनके द्वारा ई. आई. ए. रिपोर्ट में

- कौन-कौन सा कंपनी 10 किलो मीटर के क्षेत्र है इसकी जानकारी नहीं दी गई है, कंपनी के द्वारा भूगर्भ जल का उपयोग किया जायेगा, जिससे भू-जल स्तर गिरेगा। महानदी से पानी लेने पर महानदी से सिंचाई करने वाले लोगों को भी प्रभाव पड़ेगा। मैं लिखित में अपना आपत्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ।
99. राजेश कुमार साहू, डुमरपाली – मैं वीसा पॉवर लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
 100. चैनकुंवर, देवरी – गांव के बच्चों को नौकरी दी जाये गांव के बच्चों को हिस्सा दिया जाये।
 101. गनेशी बाई, देवरी – हमारा गांव दूसरा गांव है, हमें भी कुछ सहायता दिया जाये।
 102. लक्ष्मण प्रसाद साहू, डुमरपाली – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 103. धनुर्जय कुमार साहू, डुमरपाली – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 104. शिवलाल साहू, डुमरपाली – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 105. केदारनाथ साहू, डुमरपाली – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 106. दुष्यंत कुमार रात्रे, डुमरपाली – हम बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाये। मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 107. हुकु दास महंत, – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 108. हृदय राम चौहान, कांशीचुआं – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ। मैं जिंदल कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ काम छोड़ दिया हूँ, वीसा कंपनी मुझे काम दे।
 109. चन्द्रपाल साहू, डुमरपाली – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 110. कमल प्रसाद सिदार, लिबड़ा – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ। कंपनी हम लोगों के लिये चिकित्सालय और कालेज खोले।
 111. राजू सिंह, डुमरपाली – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 112. राजू राठिया, कांशीचुआं – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 113. रविशंकर डनसेना, कांशीचुआ – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ। कंपनी प्रदूषण पर ध्यान दे और शिक्षा की व्यवस्था करे।
 114. अश्वनी कुमार यादव, डुमरपाली – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 115. नारायण प्रसाद साहू, दूवरी – हमारे गांव के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये। गांव में अच्छे क्वालिटी का स्कूल खोला जाये। गरीब लोगों के लिये उस स्कूल और चिकित्सालय में सुविधा दी जाये।
 116. उमेश निषाद, देवरी – हमारे गांव में जो बची हुई खेती जमीन है उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, गांव में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
 117. सुभाष चन्द्र बघेल, देवरी – ग्राम देवरी के बेरोजगारों को ऊँचे पद पर रखा जाये और अगर वे उस लायक नहीं हैं तो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाये, अच्छे स्कूल खोले जायें, और गांव में शौचालय की व्यवस्था की जाये। गांव में पक्की सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था की जाये। गांव के लोगों हेतु आई.टी.आई. की व्यवस्था की जाये।
 118. कान्ति बाई, डुमरपाली – वीसा कंपनी का समर्थन करती हूँ।
 119. बुधरा बाई, डुमरपाली – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
 120. तिलकराम, देवरी – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
 121. कनकराम बरेठ, देवरी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 122. रामदयाल पटेल, पण्डरीपानी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 123. सनद कुमार साहू, पण्डरीपानी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 124. लाल कुमार, पण्डरीपानी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।

125. नरेश पटेल, रायगढ़ — मैं अपने भाईयों के साथ वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ श्री नंद कुमार पटेल, के द्वारा यह समझौता किया गया है कि 12 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन खरीदा जाये। उनका मैं समर्थन करता हूँ।
126. लोचन प्रसाद पटेल, औराभाठा — यह कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, गांव के सभी लोगों को इसमें सहमती है, कंपनी ने जो वादा किया है बेरोजगारों के लिये उसको पूरा करे, पर्यावरण संबंधी अगर समस्या आती है तो कंपनी उस पर गहन विचार करे। मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
127. धर्मेन्द्र पटेल, नंदेली — मैं वीसा पॉवर लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। कंपनी से आग्रह है कि यहाँ पर स्कूल, हास्पिटल की मांग को पूरा करे, हमारे क्षेत्र के जो बच्चे को उच्च शिक्षा के लिये दूर जाना पड़ता है , जिस प्रकार जिंदल के द्वारा इंजीनियरिंग कालेज खोला गया है वैसे ही एक कालेज इस कंपनी द्वारा भी खोला जाये। मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
128. विजय कुमार अग्रवाल, किरोड़ीमल नगर — हमारी एक भावना होती है। जन भावना के साथ जन प्रतिनिधियों को चलना चाहिए। संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो तकनीकी बातों को उठाया गया है उसका पालन प्रशासन के द्वारा कराया जाये। हम अगर यह आशंका से ग्रस्त होकर की कंपनी अपने वादों को नहीं करेगी तो यह सही नहीं है। अगर कंपनी के संबंध में किसी को आशंका है उसको दूर करने हेतु बात किया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये। यहाँ के गांव में सामुदायिक कार्य किया जाये। मैं जन भावनाओं के साथ हूँ और वीसा पॉवर का समर्थन करता हूँ।
129. मुरलीधर पटेल, कछार — हमारे स्थानीय विधायक के द्वारा इस क्षेत्र में बैठक लेकर गांव की जमीन के मूल्य बढ़वा दिया गया है। मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
130. लाबोराम साहू, रायगढ़ — पूर्व में कंपनी के द्वारा जो जमीन ले लिया गया था, उसका भी मुआवजा नये दाम पर दिया जाये, कंपनी के द्वारा महिला स्वसहायता समूहों के महिलाओं को भी काम दिया जाये। कंपनी के द्वारा आई. टी. आई. की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
131. गावस्कर पटेल, कोड़तराई — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
132. रुकमणी साहू, डुमरपाली — हमारे जो मांगें हैं उसको कंपनी पूरा करे, बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था, प्रतिभाशाली बच्चों को उचित सुविधा, महिला स्वसहायता समूहों को उचित व्यवस्था, गांव में पानी, बिजली की व्यवस्था करे, हम लिखित में अपना ज्ञापन देते हैं और चाहते हैं कि आप भी हमें लिखित में आश्वासन दें।
133. राजकुमार, डुमरपाली — मेरा समर्थन है।
134. श्रीराम साहू, डुमरपाली — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
135. यसवंत कुमार यादव, डुमरपाली — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
136. लम्बोदर, कोड़तराई — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
137. राजकुमार साहू, देवरी — जो आदिवासी जमीन है उसका रजिस्ट्री कब होगा ? इसकी जानकारी दी जाये।
138. डिग्रीलाल साहू, डुमरपाली — मैं माननीय नंद कुमार पटेल, जी का स्वागत करता हूँ, जिन्होंने कंपनी के साथ अनुबंध किया है । कंपनी हमारे क्षेत्र के विकास के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य के लिये विशेष ध्यान दे और गांव में विकास कार्य किये जायें। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये।
139. नंद कुमार पटेल, विधायक, खरसिया — हम एक स्पष्टीकरण चाहते हैं कि कंपनी के द्वारा देवरी तथा डुमरपाली ग्राम के अलावा भविष्य में आस-पास के ग्रामों की

जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। जिस भूमि पर प्लांट लगना है, वह गांव देवरी, डुमरपाली के जमीन का होगा। कंपनी को 800 एकड़ जमीन चाहिए, गांव वालों को भ्रम है कि कंपनी के द्वारा आगे भी कंपनी का क्षमता विस्तार कर अन्य गांवों की जमीन को अधिग्रहण करेगा। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि आस-पास के अन्य किसी गांवों के जमीन का अधिग्रहण कंपनी के द्वारा भविष्य में नहीं किया जायेगा, इसका स्पष्टीकरण हम कंपनी से चाहते हैं।

श्री द्विवेदी कंपनी प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि केवल देवरी और डुमरपाली गांव के ही जमीन पर प्लांट लगाया जायेगा और अधिक जमीन किसी अन्य ग्राम का नहीं लिया जायेगा। यह लिखित में हम दे देंगे।

पुनः नंद कुमार पटेल, विधायक – कंपनी के द्वारा भारत सरकार के मानक से थोड़ा भी अधिक प्रदूषण न हो इसका ध्यान प्रशासन और राज्य सरकार ध्यान रखे, अगर ऐसा होता है तो ग्रामीणों में आक्रोश होगा। कंपनी और ग्राम पंचायत के बीच एक लिखित में अनुबंध हुआ है कि जो जमीन पूर्व में खरीदी गई है और अभी खरीदी जायेगी, उसका भुगतान 12 लाख 1 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार के लिये भटकना पड़ता है, अगर कंपनी इस क्षेत्र का विकास करना चाहती है तो कंपनी के आस-पास के 10 किलो मीटर क्षेत्र के लोगों और आस-पास के लोगों को रोजगार दे और ठेका भी दिया जाये। आस-पास के जिलों में उस मूल्य पर भुगतान नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में गांव के लोगों के साथ वादाखिलाफी नहीं होना चाहिए। यह जन सुनवाई है, इस उद्योग के आने से प्रदूषण की क्या स्थिति होगी, वह देखना है, कंपनी को चाहिए कि जो मानक स्तर है उससे अधिक प्रदूषण नहीं होना चाहिए। पॉवर प्लांट का पलाई एश को यत्र-तत्र किसी न किसी ठेकेदार के माध्यम से फेंक दिया जा रहा है और वातावरण को दूषित किया जा रहा है। कंपनी यह सुनिश्चित करे कि एक चम्मच राखड़ भी कंपनी के बाहर न फेंका जाये। हम ग्रामवासी देवरी और डुमरपाली के लोगों के साथ इस कंपनी का समर्थन करते हैं। साथ ही गांव वालों के साथ छलावा न हो, एक सुपर स्पेसलिस्ट हास्पिटल कंपनी इस क्षेत्र में लगाये, एक अच्छा स्कूल और एक संस्थान कंपनी खोले और गांव वालों को उसमें सुविधा दे। गांव डुमरपाली और देवरी में जब कंपनी का कार्य चालू होता है तो ग्राम पंचायत और गांव की सहमती के साथ गांव के विकास में कम से कम 1 करोड़ रुपये दे।

140. इन्द्र कुमार साहू, डुमरपाली – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
141. पिताम्बर, पण्डरीपानी – वीसा कंपनी का स्वागत करता हूँ।
142. जगेश्वर यादव, पण्डरीपानी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
143. जगदीश पटेल, पण्डरीपानी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
144. राजकिशोर, किरोड़ीमल नगर – ग्राम देवरी में जो वीसा पॉवर प्लांट लग रहा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। पॉवर प्लांट से कम प्रदूषण होता है, कंपनी से निवेदन है कि जो पेड़ कंपनी को लगाने में काटे जायेंगे, उससे कई गुना ज्यादा पेड़ कंपनी के द्वारा लगाया जाये। कंपनी के द्वारा सड़क का निर्माण कराया जाये। कंपनी के द्वारा स्केल और हास्पिटल की व्यवस्था की जाये, जिसमें गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके और अपना इलाज करा सके। गांव की महिलाओं को कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जाये। युवाओं को योग्यता अनुसार रोजगार दिया जाये। कंपनी पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जाये।

145. उमाशंकर यादव, देवरी – हमारे गांव में शराब और जुआ बहुत चल रहा है, हमारे गांव के जमीन को बंच रहे हैं। यहाँ पर पुलिस थाना खोला जाये और शराब दुकान बंद कराया जाये।
146. महेश सिंह, किरोड़ीमल नगर – पॉवर प्लांट से पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं होता है, किन्तु एश जो पॉवर प्लांट की सबसे बड़ी समस्या है, कंपनी के द्वारा ओपन माईन्स में उस एश को डम्प कर दिया जाये, जिससे न ही जमीन का नुकसान होगा और न ही कहीं बहेगा। मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
147. सुरेन्द्र कुमार निषाद, पण्डरीपानी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
148. झल्लर सिंह, किरोड़ीमल नगर – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
149. मदन चौहान, बिलासपुर – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ। जो बेरोजगार लोग यहाँ हैं उनको नौकरी दिया जाये।
150. जलधर यादव, चारभांठा – कंपनी के लगने से थोड़ी दूर पर मेरा जमीन है कंपनी उसको नहीं ले रहा है, मैं अपनी जमीन कंपनी को दे दूंगा।
151. कृपा राम निषाद, देवरी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
152. मयाराम यादव, देवरी – स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
153. छेदीलाल भगत, सरपंच, बिलासपुर – पॉवर प्लांट की स्थापना हो रही है, यह हमारे रायगढ़ जिले के लिये अच्छी बात है। मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
154. लेखराम डनसेना, राजपुर – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
155. शौकीलाल बंजारा, देवरी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
156. आनंद राम, देवरी – बच्चों को यहाँ नौकरी दिया जाये। मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
157. राधेश्याम शर्मा, रायगढ़ – जन सुनवाई अधिनियम के तहत जन सुनवाई का आयोजन नहीं हो रहा है इसका आवेदन हमारे साथियों के द्वारा दिया गया था। फिर भी यह जन सुनवाई का आयोजन कराया जा रहा है। कंपनी के द्वारा ई. आई. ए. रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है, वह गलत है, नियम का पालन नहीं होना और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जन सुनवाई करवाया जाना अपराध है, पहले शासन अनुबंध कर लेता है, फिर जन सुनवाई का आयोजन कराया जा रहा है। नदी में कितना पानी है इसकी जाँच नहीं की जा रही है और सभी उद्योगों को पानी दिया जा रहा है। मेरी आपत्ति दर्ज की जाये। मृत्युदर रायगढ़ में सबसे अधिक है। प्रदूषण का आंकड़ा नहीं है। जन सुनवाई पर रोक लगाया जाये। आपत्ति दर्ज की जाये।
158. लाला ठाकुर, भगवानपुर – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
159. नित्यानंद चौहान, भगवानपुर – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
160. घनश्याम साहू, भगवानपुर – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
161. विजय कुमार पटेल, उपसरपंच, लिबरा – मैं सहमती प्रदान करता हूँ।
162. कौशल प्रसाद तिवारी, देवरी – कंपनी से निवेदन है कि जब कंपनी खुलेगा तो हमें पूजा पाठ हेतु बुलाया जाये। हम पंडित हैं।
163. अमृत लाल, देवरी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
164. हरगोविन्द चौहान, बिलासपुर – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
165. सविता रथ, जनचेतना, रायगढ़ – मैं वीसा कंपनी का विरोध करती हूँ। कंपनी प्रबंधन महिलाओं के लिये क्या व्यवस्था की गई है उसकी जानकारी दी जाये। उद्योगों के लगने से यहाँ दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिये और अधिक उद्योग न लगने दिया जाये, यहाँ पर जब बहुत सारे कंपनी के द्वारा पानी लेने हेतु आवेदन

किया गया है, जिसके कारण भू-जल स्तर गिर रहा है, इस क्षेत्र में बहुत अधिक उद्योग खुल चुके हैं और अधिक उद्योग न खोला जाये, अगर जमीन जाती है, तो कंपनी को उनके लाभ में उसको हिस्सा दिया जाये।

166. खेमराज साहू, देवरी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
167. तकाराम बघेल, देवरी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
168. छबिलाल साहू, देवरी – मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
169. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना, रायगढ़ – केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 2006 के अनुसार उद्योग के आवेदन के 7 दिवस के भीतर अधिसूचना जारी किया जाना चाहिए और 45 दिन के भीतर जन सुनवाई का आयोजन कराया जाना चाहिए, अगर किसी कारणवश क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी जन सुनवाई का आयोजन नहीं करा पाता तो उन स्थिति में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय एक समिति का गठन करेगा जो जन सुनवाई करायेगा, अगर आज की जन सुनवाई को देखा जाये तो आज की जन सुनवाई गैर कानूनी हो जाती है। जन सुनवाई के प्रचार-प्रसार का आयोजन करेगा, जिससे क्षेत्र की जनता को अपनी बात रखने का और मुद्दों की जानकारी हो सके, लेकिन क्षेत्र के कुछ नागरिक जन सुनवाई का प्रचार-प्रसार कर रहे थे, तो उनको भूपदेवपुर थाने में बैठा दिया गया था। वे लोग सिर्फ ई. आई. ए. के कमियों के बारे में गांवा वालों को जानकारी दे रह थे। इस देश में अलग-अलग राज्यों में किसानों के लिये अलग-अलग नियम है, हरियाणा में प्रति एकड़ भूमि का मुआवजा 25 से 30 लाख रुपये है और उस जमीन की छतिपूर्ति 25 हजार रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है। ऐसा ही प्रावधान छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए, यहाँ भी जमीन का मुआवजा 25 से 30 लाख रुपये प्रति एकड़ जमीन का मूल्य निर्धारित होना चाहिए और कंपनी के मुनाफे में हिस्सा किसानों को दिया जाये। रायगढ़ जिले में किसी भी उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। जबकि स्थानीय लोगों को रोजगार में पहला हक है। इस उद्योग को 4000 घन मीटर प्रतिघंटा जल की आवश्यकता होगी, जिस नदी से उद्योग के द्वारा पानी लिया जाना बताया गया है उतना पानी उस नदी में है कि नहीं। रायगढ़ जिले में उस नदी का अध्ययन नहीं हुआ है कि उसमें उतना पानी है कि नहीं। यह ई. आई. ए. रिपोर्ट नकली है, इस क्षेत्र का जो अध्ययन रिपोर्ट गलत है। यह कृषि क्षेत्र है इसे बंजर भूमि बताया गया है। यह खरसिया ब्लॉक अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है, जिसमें कृषि भूमि का डायवर्सन 10 वर्षों तक नहीं होगा तो क्या कंपनी 10 वर्ष तक प्लांट स्थापना करने हेतु इंतजार करेगी। इसकी जानकारी ई. आई. ए. में नहीं दी गई है। इस कंपनी के 10 किलो मीटर के परिधि में लगभग 54 गांव आते हैं, क्षेत्र में स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, बच्चों के स्वास्थ्य में कंपनी के स्थापना से प्रदूषण का क्या असर पड़ेगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। भूपदेवपुर में जंगली जानवरों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। भूपदेवपुर में एक पुरातात्विक क्षेत्र है, जिसकी जानकारी ई. आई. ए. में नहीं है। कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य के समय पानी कहाँ से लायेगा। महानदी से पानी लाने हेतु तो पाईप लाईन बिछाया जायेगा। वह तो अभी नहीं होगा, यानि निर्माण के समय ग्राउण्ड वॉटर का उपयोग किया जायेगा, अगर कंपनी के द्वारा ग्राउण्ड वॉटर का उपयोग किया जायेगा तो इस क्षेत्र के सारे बोर सूख जायेंगे। इस क्षेत्र के लोगों को पीने के लिये भी पानी नहीं मिलेगा। इस ग्राम पंचायत में पॉवर प्लांट लगने से रोजगार का पहला अवसर इस ग्राम पंचायत और दूसरा ग्राम पंचायत के आस-पास के गांव के लोगों को तीसरा रायगढ़ जिले का होगा। कंपनी के द्वारा अपने इन्कम का 25 प्रतिशत हिस्सा

- स्थानीय किसानों को दिया जाये। इन बातों पर कंपनी अपना पक्ष स्पष्ट करे। मैं कंपनी का अपनी शर्तों के मुताबिक समर्थन करता हूँ।
170. खुसटराम बघेल, देवरी — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 171. गनपत, देवरी — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 172. परदेशी राम बंजारा, देवरी — मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ। हम कंपनी को अपने मर्जी से दिये हैं, कंपनी ने हमें उचित मुआवजा दिया है। हमारे गांव में जितना भी ट्रेक्टर है उसको अपने पॉवर प्लांट में काम दिया जाये और गांव के लोगों को रोजगार दिया जाये। सब को 12 लाख में जमीन का मुआवजा दिया है, लेकिन चिरंजीव भैया को हमने 9 लाख 75 हजार के भाव से हमने 25 एकड़ जमीन दिया है वह हमें हारमोनियम दिया है।
 173. ईश्वर, भगवानपुर — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 174. ज्ञानदास बघेल, देवरी — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 175. भरत लाल साहू, देवरी — वीसा कंपनी को समर्थन है।
 176. लाल कुमार बघेल, देवरी — गांव के लोगों को रोजगार मिले, गांव में आई. टी. आई. की सुविधा हो। मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 177. हेम लाल साहू, पण्डरीपानी — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 178. तिलक राम चौहार, डुमरपाली — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 179. श्याम लाल, डुमरपाली — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 180. नेतराम राठिया, सिंघनपुर — कंपनी के द्वारा देवरी तक रेल मार्ग बिछाकर अपना कोयला लाया जायेगा, जिससे लाखों एकड़ जमीन बर्बाद होगा, जिससे सिंघनपुर में भी कंपनी के द्वारा भू-अर्जन हेतु आवेदन किया गया है। हम अपना जमीन क्यों देंगे। ई. आई. ए. रिपोर्ट में सिंघनपुर विश्व प्रसिद्ध शैलाश्रय का उल्लेख नहीं किया गया है, सबसे पास के गांव कांशीचुआं के सरपंच को जन सुनवाई को सूचना नहीं दी गई है। क्षेत्र की जनता से अपील है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाये। मेरा आपत्ति दर्ज किया जाये। एक आदमी एक ही आपत्ति दर्ज कर सकता है, लेकिन यहाँ एक आदमी 10-10 आवेदन जमा कर रहा है।
 181. पैतराम पटेल, सरपंच, भगवानपुर — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 182. गुड़ाराम साहू, डुमरपाली — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 183. दीनदयाल साहू, डुमरपाली — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 184. वशिष्ठ कुमार साहू, डुमरपाली — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 185. गौरसिंह खड़िया, डुमरपाली — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 186. टीकाराम यादव, डुमरपाली — कंपनी क्षेत्रीयता के देखते हुए पहले स्थानीय लोगों को रोजगार दे। मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 187. लाल मेन पटेल, लेबड़ा — वीसा कंपनी के द्वारा यहाँ फैक्ट्री लगाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव के जमीन की किमत बढ़ गई है। कंपनी के खुलने से प्रदूषण होगा उस पर ध्यान दे। गांव में प्रदूषण मुक्त वातावरण हो ऐसी व्यवस्था सरकार करे। मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 188. चन्द्रभान सिंह यादव, देवरी — मैं वीसा पॉवर ये यह अनुरोध करता हूँ। मैं हर महिने बाजा बजाने जिंदल में जाता हूँ। कंपनी मुझे बाजा दिलाये।
 189. गौरीशंकर साहू, डुमरपाली — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 190. रघुवर साहू, डोंगाढकेल — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
 191. टिकाराम साहू, डुमरपाली — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।

192. सहनीराम, डुमरपाली — कंपनी के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार दे। मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
193. विजय कुमार पटेल, डोंगीतराई — कंपनी गांव के लोगों को योग्यतानुसार नौकरी दी जाये।
194. भारत लाल बघेल, देवरी — हमारे गांव में वीसा पॉवर कंपनी लग रहा है यह खुशी की बात है, हमारे गांव के सभी किसानों के द्वारा जमीन दिया गया है। कंपनी योग्यता के अनुसार और आवश्यकता अनुसार सभी को रोजगार दे, गांव में अस्पताल, स्कूल, बिजली, सड़क की व्यवस्था और हर घर में शौचालय की व्यवस्था की जाये।
195. राजकुमार साहू, देवरी — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
196. सुखलाल सारथ, डोंगीतराई — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
197. डाक्टर प्रसाद साहू, देवरी — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
198. विजय विश्वकर्मा, डोंगीतराई — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करता हूँ।
199. सीताराम यादव, डोंगीतराई — मैं वीसा कंपनी का समर्थन करती हूँ।

लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया।

लोक सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में उद्योग प्रतिनिधि श्री सुब्रतो द्विवेदी, डायरेक्टर एवं श्री राहुल सिंह, इन्वायरमेंट कंसलटेंट ने परियोजना से होने वाले होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु लगाये जाने वाले आधुनिक उपकरणों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, सामुदायिक विकास तथा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त बिंदुओं पर बिन्दुवार अपना पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान कई लोगों द्वारा लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा सायं 3.45 बजे उपस्थित लोगों के सुझाव, आपत्ति, टीका-टिप्पणी पर कंपनी प्रतिनिधि की ओर से जवाब आने के पश्चात् लोक सुनवाई के समाप्ति की घोषणा की गई।

(जे. लकड़ा)

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(एस. के. शर्मा)

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)